5 अप्रैल 2021

<u>प्रेस-विज्ञप्ति</u> थाना-अहरौला

एक अदद पिस्टल व 4 अदद कारतूस .32 के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित,ईनामिया अभियुक्तो की गिरफ्तारी एवं अवैध मादक पदार्थ/अवैध असलहो की तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री सिद्धार्थ एवं क्षेत्राधिकारी बूढनपुर के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 15/4/2021 को उ0िन0 जावेद अख्तर व उ0िन0 हिरशंकर उपाध्याय थाना अहरौला मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर ग्राम भैसासुर के पास से एक नफर अभियुक्त राजू निषाद पुत्र लालचन्द निषाद निवासी उदैना थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ को एक अदद पिस्टल .32 बोर व 4 अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर के साथ समय लगभग 00.05 बजे रात्रि गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-57/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 57/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

राजू निषाद पुत्र लालचन्द निषाद साकिन उदैनाथाना अहरौला जनपद आजमगढ़

बरामदगी

एक अदद पिस्टल .32 बोर व 4 अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

- 1. उ0नि0 श्री जावेद अख्तर थाना अहरौला जनपद आजमगढ।
- 2. उ0नि0 श्री हरिशंकर उपाध्याय थाना अहरौला जनपद आजमगढ।
- 4. का० सूरज खरवार थाना अहरौला जनपद आजमगढ।
- 5. का0 शंशीकान्त तिवारी थाना अहरौला जनपद आजमगढ।
- 6. रि0का0 राजू यादव थाना अहरौला जनपद आजमगढ।
- 7. रि0का0 धर्मेन्द्र यादव थाना अहरौला जनपद आजमगढ।

<u>थाना-गम्भीरपुर</u> अवैध कट्टा व कारतूस के साथ एक गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा आगामी त्रिस्तरीय चुनाव के दृष्ट्रिगत चलाये गये अभियान चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन गिरफ्तारी वांछित अभियुक्त गिरफ्तारी एन.वी.डब्लू अभियुक्तगण के क्रम अपर पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल नेतृत्व में दिनांक 14.04.2021 को उ.नि. ओमप्रकाश श्रीवास्तव मय ईंगल मोबाइल के कस्वा बिन्द्रा बजार में मौजूद था कि मुखविर खास से सूचना मिली कि एक व्यक्ति नाजायज कट्टा लेकर रोहुआँ की तरफ से टेम्पू में आ रहा है जोकिसी घटना कारित करने के फिराक में है यदि जल्दी करे तो पकड़ा जा सकता है इस सूचना पर हमराही कर्मचारी को लेकर पटेल ढाबा के पास पहुँचकर आने वाले व्यक्ति का इंतजार करने लगा तभी एक टेम्पो पटेल ढाबा की तरफ आता हुआ दिखायी दिया मुखविर इशारा करके हट बढ़ गया। पटेल ढाबा के पास टेम्पो को रोकवाया गया तो एक व्यक्ति उतर कर भागने लगा कि कर्मचारीगण की मदद से मौके पर ही समय करीब 05.20 बजे पकड़ लिया गया पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम जहाँगीर पुत्र शाहआलम निवासी मंगराँवाथाना गम्भीरपुर आजमगढ़ बताया पकड़े गये व्यक्ति की जामा

तलाशी से पहने हुए पैंट के दाहिने फेंटे से एक अदद कट्टा 303 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 303 बोर बरामद हुआ। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु.अ.स. 72/2021 धारा 3/7/25 आयुध अधि0 पंजीकृत कर अभियुक्त को मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त.

जहाँगीर पुत्र शाहआलम निवासी मंगराँवा थाना गम्भीरपुर आजमगढ

बरामदगी

एक अदद कट्टा 303 बोर व एक अदद जिन्दा कार0 303 बोर

पंजीकृत अभियोग

मु.अ.स. 72/21 धारा 3/7/25 आयुध अधि0 थाना गंभीरपुर आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम

- 1. ज्ञानू प्रिया प्रभारी निरीक्षक थाना गंभीरपुर आजमगढ़
- 2. उ.नि. ओमप्रकाश श्रीवास्तवथाना गंभीरपुर आजमगढ़
- 3. का. सौरभ सरोज थाना गंभीरपुर आजमगढ़
- 4. का. उदयभान गुप्ता थाना गंभीरपुर आजमगढ़

<u>थाना-गम्भीरपुर</u> अवैध देशी शराब के साथ एक गिरफ्तार

आगामी त्रिस्तरीय चुनाव के दृष्ट्रिगत चलाये गये अभियान चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन गिरफ्तारी वांछित अभियुक्त गिरफ्तारी एन.वी.डब्लू अभियुक्तगण के क्रम अपर पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल नेतृत्व में दिनांक 14.04.2021 को प्रभारी निरीक्षक श्री मती ज्ञानू प्रिया मय का. उदयभान गुप्तामय हमराह कस्बा बिन्द्रा बजार मे मौजूद थे कि मुखविर खास से सूचना मिली कि एक व्यक्ति बिषहम चौराहे पर नाजायज देशी शराब पिपिया मे लेकर खड़ा है यदि जल्दी किया जाय तो पकड़ा जा सकता है इस सूचना पर तत्काल मौके पर पहुँचकर मुखविर के इशारे पर विषहम चौराहे से एक व्यक्ति को समय 20.45 बजे पकड़ लिया गया पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम तौफिक पुत्र लतीफ निवासी गौरी नटियाना थाना गम्भीरपुर आजमगढ बताया

पकडे गये व्यक्ति के पास से एक पिपिया में कुल 20 लीटर कच्ची नाजायज शराब बरामद हुआ। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु.अ.स. 73/2021 धारा 60 आबकारी अधि0 पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

तौफिक पुत्र लतीफ निवासी गौरी नटियाना थाना गम्भीरपुर आजमगढ

<u>बरामदगी</u>

एक पिपिया मे 20 लीटर नाजायज देशी शराब

पंजीकृत अभियोग

मु.अ.स. 73/21 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना गंभीरपुर आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम.....

ज्ञानू प्रिया प्रभारी निरीक्षक थाना गंभीरपुर आजमगढ़

का. सौरभ सरोज थाना गंभीरपुर आजमगढ़

का. उदयभान गुप्ता थाना गंभीरपुर आजमगढ़

थाना- कप्तानगंज

हिस्ट्रीशीटर अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार, दो दर्जन से अधिक मुकदमें दर्ज

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) जनपद आजगमढ व क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर श्री महेन्द्र कुमार शुक्ला के दिशा निर्देशन व कुशल नेतृत्व में चलाये गये अभियान के क्रम में आज दिनांक 15.04.2021 को तलाश वांछित अपराधी व वारण्टी की गिरफ्तारी हेतु देखभाल क्षेत्र व दिशा तथा त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव के मद्देनजर देखभाल क्षेत्र में मामूर होकर मुखबीरी सूचना के आधार पर मुझ प्र0नि0 देवानन्द थाना कप्तानगंज मय हमराह कर्मचारी गण के साथ सूचना पर विश्वास करके अभियुक्त सुमन्त राय उर्फ मोनू राय पुत्र दुर्गविजय राय ग्राम पिड़ऊत सिंहपुर थाना घोसी जनपद मऊ हाल पता गड़हन बुजुर्ग थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ को गोपलापुर पुलिया के पास से अभियुक्त के पास से एक अदद अबैध तमंचा .303 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .303 बोर की बरामदगी के आधार पर कारण गिरफ्तारी बताकर दिनांक समय 07.45 बजे अभियुक्त को गिरफ्तार कर हिरासत पुलिस में लिया गया। बाद गिरफ्तारी मौके पर फर्द तैयार कर वापस थाना आकर दाखिल कराया गया व मुकदमा पंजीकृत कराया गया। अभियुक्त उपरोक्त थाना घोसी जनपद मऊ का HS अपराधी है। जिसका HS No 147A है।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ पर अपनी गलती की बार बार माँफी माँग रहा था। पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 53/21 धारा 3/7/25 आर्म्स एक्ट थान कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ अपराधिक इतिहास-

क्र0सं0 मु0अ0सं0 धारा थाना जनपद

1 17/19 307/336/506 IPCकप्तानगंज आजमगढ़

2 136/18 147/149/504/506 IPC कप्तानगंज आजमगढ़

3 213/18 147/148/149/323/336/427/452/504/506 IPC कप्तानगंज आजमगढ़

4 102/19 379/411 IPC कप्तानगंज आजमगढ

5 110/19 3/25 A Act कप्तानगंज आजमगढ़

6 92/02 396 IPC घोसी मऊ

7 363/95 147/307/506 IPCघोसी मऊ

8 291/97 147/148/452/336/323 IPC घोसी मऊ

9 177/97 379 IPC घोसी मऊ

10 255/12 3(1) यू0पी0 गैगेस्टर एक्ट घोसी मऊ

11 229/12 307/392/504/506 IPC घोसी मऊ

12 451/13 307 IPC घोसी मऊ

13 1570/15 395 IPC घोसी मऊ

14 738/16 147/323/336/354क/427/452/504/506 IPC व 3/4 पाक्सो एक्ट घोसी

मऊ

15 206/21 323/504/506 IPCघोसी मऊ

गिरफ्तार अभियुक्त-

1- सुमन्त राय उर्फ मोनु राय पुत्र दुर्गविजय राय ग्राम पिड़ऊत सिंहपुर थाना घोसी जनपद मऊ हाल पता गड़हन बुजुर्ग थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ बरामदगी-

1- एक अदद तमंचा .303 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .303 बोर गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम —

- 1. प्र0नि0 देवानन्द थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़।
- 2. हे0का0 रामअशीष राय थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़।
- 3. का0 विशाल जायसवाल थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़।
- 4. का० भाष्कर मिश्रा थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़।